

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बड़जलास :- सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु०न०:- 19/2017

निर्णय दिनांक:- 26/09/2017

1. गोपाल लाल पुत्र भोमाराम जाति मीणा निवासी डाबलाबुजुर्ग तहसील फागी जिला जयपुर।
वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्योदान
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र
3. कैलाश पुत्र रामचन्द्र
4. शान्ति देवी पत्नि स्व: लालाराम
5. संजय पुत्र स्व: लालाराम नाबालिग सरंक्षक माता शान्ति देवी पत्नि स्व: लालाराम
6. अजय पुत्र स्व: लालाराम नाबालिग सरंक्षक माता शान्ति देवी पत्नि स्व: लालाराम
7. अर्चना पुत्री स्व: लालाराम नाबालिग सरंक्षक माता शान्ति देवी पत्नि स्व: लालाराम
8. योनििका पुत्री स्व: लालाराम नाबालिग सरंक्षक माता शान्ति देवी पत्नि स्व: लालाराम
9. सावतराम पुत्र गोविन्दराम
10. भंवरलाल पुत्र गोविन्दराम
11. प्रेम देवी पुत्री गोविन्दराम
12. हनुमान पुत्र गोविन्दराम
13. भोमा पुत्र गोरिया

समस्त जाति मीणा निवासी डाबला बुजुर्ग तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

14. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
15. उपपजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

--: वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::--

--: निर्णय ::-- दिनांक 26.09.2017

प्रकरण में सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर वाद में पैरा न० 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम डाबलाबुजुर्ग की आराजी का मौका, कब्जा सहमति अथवा बाई मिट्स एण्ड बोउण्डस के अनुसार इस न्यायालय के द्वारा वादी का वाद दिनांक 19.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया था। तथा तहसीलदार फागी को इस न्यायालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2017/384 दिनांक 30.06.2017 को प्राथमिक डिक्री के आधार पर नक्शे व कुरेजात दो - दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार फागी ने नक्शे व कुरेजात दो प्रतियों में भिजवाये गये।

(2)


वादी ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब फरमाई गई।

उभयपक्ष की नक्शे कुरेजात पर बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने नक्शे व कुरेजात सही होना बताया। तथा मुताबिक नक्शा कुरेजात वादी का वाद डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक नक्शे कुरेजात वादी का वाद डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार अन्तिम डिकी किया जाता है। तथा तदानुसार फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शे कुरेजात निर्णय डिकी के पार्ट होंगे।

क्र.स	खातेदार का नाम मय वलदीयत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र श्योदान जाति मीणा सा०देह राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन	384/1 384/9	0.15 1.15	बारानी 2 बारानी 2 चाही 3	
2	जगदीश, कैलाश पि० रामचन्द्र हिस्सा 2/3 शान्ति देवी पत्नि स्व० लालाराम, संजय, अजय, पि० लालाराम, अर्चना, योनिका पुत्रीया लालाराम हि. ब. हि 1/3 जाति मीणा सा०देह	384/3 384/8	0.13 1.17	बारानी 2 बारानी 2 1.05 चाही 3 0.12	
3	भंवरलाल सांवताराम पि० गोविन्दराम हिस्सा 2/3 प्रेम देवी पुत्री गोविन्दराम हि. 1/3 जाति मीणा सा० देह	384/7	1.17	बारानी 2 1.05 चाही 3 0.12	
4	हनुमान पुत्र गोविन्दराम जाति मीणा सा०देह	384/4	0.08	बारानी 2	
5	गोपाल पुत्र भोमा जाति मीणा सा० देह	384/5	0.05	बारानी 2	
6	भोमा पुत्र गोरिया जाति मीणा सा०देह	384/2 384/6	0.18 1.12	बारानी 2 बारानी 2 चाही 3	
7	जगदीश पुत्र श्योदान हि. 1/4 राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन जगदीश कैलाश पि. रामचन्द्र हि.ब.हि. 1/6 शान्ति देवी पत्नी लालाराम, संजय, अजय पि. लालाराम, अर्चना, योनिका पुत्रियां लालाराम हि.ब.हि. 1/12, भंवरलाल, सांवताराम पि० गोविन्दराम हि० 1/8 प्रेम देवी पुत्री गोविन्दराम हि० 1/16 हनुमान पुत्र गोविन्दराम हि० 31/816, गोपाल लाल पुत्र भोमाराम हि० 5/204 भोमा पुत्र गोरिया हि. 1/4 जाति मीणा सा०देह	384/10	0.04		

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
फारंगी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास- सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

गोपाल लाल पुत्र भोमाराम जाति मीणा निवासी डाबलाबुजुर्ग तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

जगदीश पुत्र श्योदान जाति मीणा निवासी डाबलाबुजुर्ग तहसील फागी जिला जयपुर। वर्गो।

::- वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::-

मुकदमा नं० - 19/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर मुताबिक निर्णय फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी..... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/09/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....




मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

कृ०प०उ०

क्र.स	खातेदार का नाम मय वलदीयत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र श्योदान जाति मीणा सा०देह राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन	384/1 384/9	0.15 1.15	बारानी 2 बारानी 2 चाही 3	
2	जगदीश, कैलाश पि० रामचन्द्र हिस्सा 2/3 शान्ति देवी पत्नि स्व० लालाराम, संजय, अजय, पि० लालाराम, अर्चना, योनिका पुत्रीया लालाराम हि. ब. हि 1/3 जाति मीणा सा०देह	384/3 384/8	0.13 1.17	बारानी 2 बारानी 2 1.05 चाही 3 0.12	
3	भंवरलाल सांवतराम पि० गोविन्दराम हिस्सा 2/3 प्रेम देवी पुत्री गोविन्दराम हि. 1/3 जाति मीणा सा० देह	384/7	1.17	बारानी 2 1.05 चाही 3 0.12	
4	हनुमान पुत्र गोविन्दराम जाति मीणा सा०देह	384/4	0.08	बारानी 2	
5	गोपाल पुत्र भोमा जाति मीणा सा० देह	384/5	0.05	बारानी 2	
6	भोमा पुत्र गोरिया जाति मीणा सा०देह	384/2 384/6	0.18 1.12	बारानी 2 बारानी 2 चाही 3	
7	जगदीश पुत्र श्योदान हि. 1/4 राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा वाटिका मुर्तहीन जगदीश कैलाश पि. रामचन्द्र हि.ब.हि. 1/6 शान्ति देवी पत्नी लालाराम, संजय, अजय पि. लालाराम, अर्चना, योनिका पुत्रियां लालाराम हि.ब.हि. 1/12, भंवरलाल, सांवतराम पि० गोविन्दराम हि० 1/8 प्रेम देवी पुत्री गोविन्दराम हि० 1/16 हनुमान पुत्र गोविन्दराम हि० 31/816, गोपाल लाल पुत्र भोमाराम हि० 5/204 भोमा पुत्र गोरिया हि. 1/4 जाति मीणा सा०देह	384/10	0.04		

उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। तहसीलदार फागी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पृथक से तहरीर जारी हो।


उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

